(85)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 514–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 150/13–14/अपील.

बैजनाथ सिंह पुत्र प्रीतम सिंह
निवासी ग्राम खेरिया
तहसील एवं जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर .....अनावेदक

श्री पी0के0 तिवारी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजीत सुडेले, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/7/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अपर तहसीलदार वृत गुठीना मुरार जिला ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा मऊ तहसील व जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 856/1 रकबा 1.463 हेक्टेयर पंचम सिंह के नाम दर्ज थी, और पंचम सिंह द्वारा आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, अतः वसीयतनामा के अनुसार उपरोक्त भूमि पर उसका नामान्तरण किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 31–3–10 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम

अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–5–13 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा 30–11–15 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाय गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि पंचम सिंह के नाम दर्ज थी और उनके द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा आवेदक के पक्ष में निष्पादित किया गया है, अतः पंचम सिंह की मृत्यु उपरांत वसीयतनामा प्रभावशील हो गई थी, इस स्थिति पर बिना विचार किये तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में पंचशील गृह निर्माण समिति के पक्ष में विकय अनुबंध पत्र सम्पादित हुआ है, परन्तु विकय पत्र सम्पादित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में विकय अनुबंध पत्र के आधार पर स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं, और न ही नामान्तरण किया जा सकता है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा बिना मूल भूमिस्वामी का सूचना दिये नामान्तरण आदेश पारित नहीं किया जा सकता है ।

(4) आवेदक की ओर से समस्त तथ्य अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित किये गये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 2013 (1) एम.पी.जे.आर. 22, 2013 (1) एम.पी.जे.आर. 97 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) विकय अनुबंध पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रश्नाधीन भूमि पंचशील गृह निर्माण समिति को विकय की गई है, इसलिए आवेदक का यह आधार उचित नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व का अन्तरण नहीं हुआ है ।

(2) विकय अनुबंध पत्र में स्पष्ट वर्णित है कि केता सुविधा से शासकीय औपचारिकताओं की पूर्ति कर जमना का उपयोग किसी भी प्रकार करने के लिए स्वतंत्र है, विकय अनुबंध पत्र में यह भी उल्लेख है कि हमारे वारिसान की पूर्ण सहमति है, और हमारे वारिसान द्वारा की गई आपत्ति निष्प्रभावी मानी जायेगी । ऐसी स्थिति में आवेदक को नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक द्वारा अधिग्रहीत करने के पश्चात पंचशील गृह निर्माण समिति को भूखण्ड रिलीज कर दिया गया है, और आवेदक अधीनस्थ न्यायालयों को भ्रमित कर अपना नामान्तरण कराना चाहता है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि पूर्व में प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व सम्बन्धी जांच नहीं की गई है । खसरे के कॉलम नं. 12 में ग्वालियर विकास प्राधिकरण का नाम दर्ज है, अतः यदि ग्वालियर विकास प्राधिकरण को प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व प्राप्त हो गये थे, तब उन्हें प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नाम दर्ज कराने की कार्यवाही करना चाहिए थी, परन्तु इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि आयुक्त स्वयं समस्त तथ्यों की जांच कर पुनः प्रकरण में स्पष्ट निर्णय लेवें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–15 निरस्त किया जाता है । प्रकरण आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर